न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

वदमा नम्बर 133/2017 दायर दिनांक–26.07.2017

1. महावीर प्रसाद पुत्र गणपत
2. सुप्यारदेवी पुत्री गणपत
3. कमलादेवी पुत्री गणपत
4. द्रोपतीदेवी पुत्री गणपत
5. केशरीदेवी पुत्री गणपत
6. संतोषदेवी पुत्री गणपत
7. शांति देवी पुत्री गणपत जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

– वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्यामसिंह उम्र 61 वर्ष
2. प्रतापसिंह पुत्र श्यामसिंह उम्र 43 वर्ष
3. गोविन्दसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 35 वर्ष
   जाति राजपूत निवासीगण जसजी की डेरा देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू यराज०द्ध
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 43 वर्ष
5. विरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 42 वर्ष
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील प्रतिवादी :– श्री विधाधर जाखड़

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ की तन मे भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 3.28 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा काबिज है तथा उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड भी वादीगण के नाम चला आ रहा है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी कब्जे व स्वामित्व की भूमि है, जिसे वादीगण लगातार काश्त करके अपने व अपने परिवार का लालन–पालन करते आ रहे है।

खसरा नम्बर 511, 512, 513, 515, 516 व 517 की जमीन एक जगह पर स्थित है तथा खसरा नम्बर 1282 की भूमि थोड़ी दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 1282 की भूमि के आस–पास राजपूत जाति के लोगो के खेत है, खसरा नम्बर 1282 की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम है तथा वे ही काश्त व काबिज है, इस भूमि से वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई लेना–देना नहीं है तथा इस भूमि का राजस्व रिकार्ड समस्त जमाबन्दियां व समस्त गिरदावरियां आज तक की वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण का इस जमीन से कोई लेना–देना नहीं है, परन्तु आस–पास उनकी जमीने होने के कारण व संख्या मे ज्यादा होने के कारण उनकी नियत खराब हो गई और वे वादीगण की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

खातेदारी की उक्त भूमि को नाजायज तरीके से हड़पने की नाजायज कोशिश करने लगे। वादीगण के कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी करने लगे वादीगण को बेदखल करने को आमादा होने लगे तथा वादीगण को धमकी देने लगे कि या तो कोडी के दामो में उक्त जमीन हमे बेच दो वरना ना तो तुम्हें काश्त करने देगे और तुम्हें जबरन बेदखल कर कब्जा कर नाजायज निर्माण करेगे। यद्यपि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है, परन्तु अगर ये लोग अपनी इस नाजायज हरकत मे सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा। वादीगण को व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना पड़ेगा, जिसमे समय व धन की बर्बादी होगी, वादीगण के हितो की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत ही जरूरी है कि वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हेक्टर भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त व काबिज रहने देवे। वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, जबरन उक्त भूमि मे निर्माण कार्य नहीं करे। मौके पर यथास्थिति बनाये रखे।

खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर की खातेदारी वादीगण के नाम से है, राजस्व रिकार्ड लगातार वादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण लगातार काश्त व काबिज है, परन्तु वादीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा सीधा परिवार है व संख्या मे कम है, प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति है तथा संख्या बल में अधिक है। इस कारण वे लोग वादीगण की जमीन को हड़पने, खुर्द–बुर्द करने, डरा धमकाकर कम पैसो मे खरीदने को आमादा है। कानून के युग में कानून के होते हुये ये लोग लठ के जोर पर दबाब बनाकर वादीगण की भूमि को हड़पकर खुर्द–बुर्द करना चाहते है। ये लोग ऐलानियां धमकी देते है, डराते है, धमकाते है कि हमे ओने–पोने दामो मे बेच दो नहीं तो जबरन बेदखल कर कब्जा करेगे। इस तरह ये लोग अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो वादीगण अपनी सम्पति से महरूम हो जायेगे। इसलिये इन लोगो को पाबन्द किया जाना निहायत ही जरूरी है।वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है. अपूर्णीय क्षति भी वादीगण को होगी। इसलिये वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण को वादकारण प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मे जबरन कब्जा करने व निर्माण कार्य करने की धमकी दिनांक 05.07.2017 को देने के रोज अदालत हाजा में पैदा हुआ और अदालत बाला को हक समायत हासिल है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर :– प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर ग्राम देवीपुरा तन चिराना मे वादीगण को बेदखल नही करे, भूमि को खुर्द–बुर्द, वेस्ट व डेमेज नही करे, वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुंचाये, भूमि मे निर्माण कार्य नही करे तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखे।

प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाद–पत्र की धारा 1 में भूमि के खसरा नम्बर होना, उनका रकबा दर्ज होना आदि के तमाम तथ्य रिकॉर्ड से सम्बन्धित है वादीगण रिकॉर्ड पेश करके इस धारा के तमाम तथ्य साबित करे। जहाँ तक खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर का प्रश्न है उक्त खसरा नम्बर उतरदाता के पिता श्याम सिंह के कब्जे काश्त का है जो 600/– रूपयें में क्रय किया हुआ है और दिनांक 10.02.1974 को 600/– रूपयें खेत की कीमत के वादीगण ने प्राप्त किये है जिसकी लिखावट भी उतरदाता की बही में की हुई है उक्त रूपये वादीगण के पूर्वज गणपत पुरोहित ने लिये थे और उसी वक्त उसने कब्जा दे दिया था। अब वादीगण की नियत खराब हो गई है और अन्य खसरा नम्बर के साथ वादीगण के खसरा नम्बर 1282 को शामिल करके उक्त झुठा दावा पेश किया है जो हर्जे खर्चे सहित खारीज होने लायक है। वादीगण ने इस खसरा नम्बर पर कब्जा होना एकदम झुठा दर्ज किया है इस खसरा नम्बर पर उत्तरदाता का कब्जा है और रिहाससी मकान बना रखे है।

वाद–पत्र की धारा 2 में खसरा नम्बर 511 लगायत 517 एक जगह होना और खसरा नम्बर 1282 दूसरी जगह होना स्वीकार है और खसरा नम्बर 1282 के आस–पास उत्तरदाता की जाति के लोगो का खेत होना स्वीकार है। इसी कारण से उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पूर्वज गणपतराम के काश्त के लिये सुविधा जनक नहीं था और उत्तरदाता के लिये सुविधा जनक था क्योंकि उक्त खेत उत्तरदाता की जाति के लोगो के मध्य था और उत्तरदाता इस खेत को काश्त करते थे. गणपतराम को रूपयो की आवश्यकता भी थी इस कारण 600/– रूपयें लेके जो अलग खेत पड़ता था और असुविधाजनक था वह उत्तरदाता के पूर्वज को विक्रय कर दिया, और उत्तरदाता व उसके पूर्वजो का इस पर हमेशा से ही कब्जा रहा है वादीगण का कभी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

कब्जा नहीं रहा है न तो वादीगण ने घोषणा का दावा किया है और ना ही कब्जा प्राप्त का दावा किया है इस कारण कब्जे के अभाव में दावा खारीज होने लायक है। श्रीमान जी पटवारी हल्का व गिरदावर से मौका रिर्पोट भी मंगवा सकते है। कब्जा उत्तरदाता का ही है वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। तमाम तथ्यों को छुपाकर यह झुठा दावा पेश किया है जो खारीज होने लायक है। वादीगण के नाम पर जो रिकॉर्ड बना है व गलत बना हुआ है विक्रय के बाद क्रेता उत्तरदाता के नाम राजस्व रिकॉर्ड बनना चाहिये था जो राजस्व कर्मचारियो ने गलती से नहीं बनाया उसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त झुठा दावा वादीगण ने पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे सहित खारीज होने लायक है।

वाद–पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है। इस धारा के तमाम तथ्य बनावटी, आधारहीन व काल्पनिक दर्ज किये है डरा धमका कर कम पैसो में खरीदने का तथ्य वादी ने दर्ज किया है वह गलत है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर तो उनके पिता ने 45–46 साल पूर्व उत्तरदाता के पूर्वज को विक्रय कर दिया था, और तब से बतौर मालिक उत्तरदाता ही काबिज है और बतौर मालिक सबकी जानकारी में काबिज है उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिये वादीगण का वाद खारीज होने लायक है।

वाद–पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण कान तो कोई कब्जा है ना ही कोई हक अधिकार शेष बचा है इसलिये उन्हें कोई किसी प्रकार का नुकशान व क्षति नहीं है नुकशान व क्षति उत्तरदाता को ही है।

वादीगण ने काल्पनिक वादकारण के आधार पर उक्त दावा पेश किया है जो वादकारण के अभाव में खारीज होने लायक है स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ क्योंकि वादीगण का 45–46 साल से खसरा नम्बर 1282 पर कब्जा नहीं है।

वाद–पत्र की धारा 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का 45–46 साल से प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं है कब्जे का दावा 12 साल के अन्दर अन्दर ही किया जा सकता है इस कारण वादीगण का दावा बाहर मियाद पेश है। वाद–पत्र की धारा 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने कितनी कोर्ट फीस पेश की है दर्ज नहीं किया है इस कारण यह धारा जबाब के काबिल नहीं है।

अतिरिक्त उत्तर

वादीगण का 45–46 साल से प्रश्नगत खसरा नम्बर पर कब्जा नहीं है। कब्जे की इस्तदुआ भी नहीं की गई है और कब्जे के अभाव में मात्र निषेधाज्ञा का वाद नहीं चल सकता है। कब्जेधारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस कारण दावा खारीज होने लायक है।

वादीगण को इस वाद का कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ. काल्पनिक वादकारण दर्ज किया है सन् 1974 में प्रश्नगत भूमि विक्रय करके कब्जा उत्तरदाता के पूर्वजो को दे दिया था तब से उत्तरदाता का ही कब्जा है इस कारण वादीगण ने मुख्य वादकारण दर्ज नहीं किया है और वादकारण के अभाव में दावा खारीज होने लायक है।

उत्तरदाता प्रश्नगत भूमि पर 45–46 साल से काबिज है 12 साल के बाद में कब्जे का दावा भी पेश नहीं किया जा सकता, इस कारण दावा बाहर मियाद है।

वादीगण ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य दर्ज नहीं किये है क्लीन हैन्ड से नहीं आया है इस प्रकार के व्यक्ति को कोई सिद्धि नहीं दी जा सकती, इस कारण वादीगण का वाद खारीज होने लायक है। अतः जबाब दावा मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारीज किया जावे, वादीगण ने आधारहीन तथ्यो को छुपाकर झुठा दावा पेश किया है।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. तनकी नं. 1– आया प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी व काश्त की भूमि ख.न. 1282 रकबा 0.84 है० ग्राम देवीपुरा में वादीगण काबेदखल नहीं करें तथा भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

   – भा.स.वादीगण

2. तनकी नं. 2– आया वादीगण को 45–46 साल से प्रश्नगत ख.न. पर कब्जा नहीं है, कब्जे की इस्तदुआ भी नहीं की गई है और कब्जे के अभाव में मात्र निषेधाज्ञा का वाद नहीं चल सकता है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

तथा 12 साल बाद कब्जा का दावा भी पेश नहीं किया जा सकता, इस कारण दावा खारीज होने लायक है।

3. दादरशीः– भा.स.प्रतिवादीगण

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4 की ओर से वकील श्री विधाधर सिंह जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी महावीर व बजरंग का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत् 2068–71, प्रदर्श 3 नकल नक्शा ट्रैस, प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 5 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 6नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 7 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 8 लगायत 11 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 12 लगायत 21 नकल जमाबंदीयां आदि दस्तावेज पेश किये।

वकील प्रतिवादीगण के विरूद्व तनकीयात कायम होने के पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही होने पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीवार विवेचन की आवश्यकता नही है। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण के रिकॉर्डेड खातेदार तथा काश्तकार के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पहुचाने को कोई अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखंलंदाजी पैदा नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखंलंदाजी पैदा नही करने, उक्त भूमि में किसी प्रकार निर्माण कार्य नही करने हेतु तथा उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक (सुशील कुमार) मजिस्ट्रेट, नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 133 / 2017 (महावीर आदि बनाम रामसिंह आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने, उक्त भूमि में किसी प्रकार निर्माण कार्य नही करने हेतु तथा उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ

मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00